फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द, जिला राजसमन्द

श्री प्रहलाद कुमार स्वर्णकार निवासी सदर बाजार, कुरज तह0 रेलमगरा जिला राजसमन्द

—अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द — **प्रत्यर्थी**

किस्म मुकदमा— अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 53/2021**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक 23.12.2021

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अन्तर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द से प्राप्त नही होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।

लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द द्वारा जरिये क्रमांकः प.1( ) सू0अ0,05/2021/1229 – 1230 दिनांक 08.12.2021 से प्राप्त रिपोर्टानुसार अपीलार्थी का आवेदन पत्र दिनांक 15.09.2021 का सूचना के अधिकार अधिनियम,05 के तहत इस कार्यालय को 20.09.2021 को प्राप्त हुआ हैं। आरटीआई आवेदन से चाही गई सूचना अपीलार्थी द्वारा चाही गई उसका संबंध कार्यालय से नही होकर एक्साईटिव इंजीनियर, मुखर्जी चौराया, कांकरोली, जिला राजसमन्द की होने के कारण जरिये ऑन लाईन पोर्टल से संबंधित का आरटीआई आवेदन अन्तरण करते हुए कार्यालय द्वारा पत्रांक 934 – 35 दिनांक 21.09.2021 से संबंधित विभाग को प्रेषित किया गया साथ ही प्रार्थी को भी प्रति पृष्ठांकित की गई। प्रार्थी के आरटीआई आवेदन से चाही गई सूचना इस कार्यालय की नही होकर अन्य लोक प्राधिकरण की होने से अन्तरण की जाकर प्रार्थी को सूचित किया गया।

लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द की रिपोर्टानुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना अन्य लोक प्राधिकरण की होने व अपीलार्थी को पृथक से इस संबंध में लोक प्राधिकरण में आवेदन कर नियमानुसार सूचना प्राप्त करने हेतु अवगत कराये जाने से उक्त अपील इसी स्टेज पर निर्णित की जाती हैं।

अतः उक्त अपील इसी स्टेज पर निर्णित की जाती हैं। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर)राजसमन्द